पत्र संख्याः—15 / एम 1—146 / 2013—2472

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एस0एम0 करीम,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

पटना, दिनांक 30/12/2014

विषयः— के0भी0 एस0 कॉलेज, उच्चैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी में कार्यरत 41 शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री बिनोद नारायण झा, पूर्व सचेतक सत्ता रूढ़ दल, बिहार विधान सभा से प्राप्त पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि के0भी0 एस0 कॉलेज, उच्चैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी में कार्यरत 41 शिक्षकेत्तर कर्मियों के विश्वविद्यालय द्वारा की गयी नियुक्ति से संबंधित निम्नांकित कागजात आवश्यक समीक्षात्मक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

1. विज्ञापित पदों का आरक्षण कोटिवार, रोस्टर क्लियरेंस (सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित) ।

2. चयन समिति द्वारा लिखित एवं परीक्षाफल के आधार पर तैयार एवं अनुमोदित आरक्षण कोटिवार मेधा सूची।

3. चयन समिति की गठन संबंधी अधिसूचना की छायाप्रति।

विश्वासभाजन,

(एस0एम0 करीम) 30/12/14
निदेशक, उच्च शिक्षा
राजेश

pramod letter

...द नारायण झा
पूर्व सचेतक
...त्तारूढ़ दल, बिहार विधान-सभा
विधायक, 32-बेनीपट्टी

(72)

आवास :-
फ्लैट नं०-101 एवं 102
ब्लॉक-A, दारोगा राय पथ
पटना-800 001
☎ : 0612-2506535
Mobile : 9431815798

दिनांक 08.10 2014

मंत्री,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
गै०स०प्रे०सं० 3798
दिनांक 20/10/14

सेवा में,

श्री वृषण पटेल जी,

माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, पटना

निदेशक (उ०शि०) कृपया 17.10.14
मंत्री
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

10420-14

महोदय,

20/10/14

इस पत्र के साथ मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखण्ड अन्तर्गत कालिदास विद्यापति विज्ञान महाविद्यालय, उच्चैठ, के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का आवेदन पत्र संलग्न है। यह महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अन्तर्गत एक अंगीभूत इकाई है। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा को प्रेषित आवेदन की प्रति संलग्न करते हूए, सूचित किया गया है कि इनकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर विज्ञापन के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से की गई थी, किन्तु पिछले कुछ माह से वेतन का भुगतान नही हो रहा है, जिससे इनके समक्ष ना सिर्फ आर्थिक तंगी की स्थिति बनी हूई है, वरन् इनके परिवार के समक्ष भुखमरी की स्थिति बनी हूई हैं।

अतः अनुरोध है कि इनके मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए अविलम्ब वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा करेंगें।

निदेशक (उ० शि०) प्रकोष्ठ
शिक्षा विभाग
बिहार, पटना
3305
22-10-14

श्री प्रमोद...

श्री उमाशंकर

भवदीय

(हस्ताक्षर) 8.10.14

(विनोद नारायण झा)

MLA.

6419
11/11/14

4062
3.11.14

(71)

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय,

बिहार सरकार पटना।

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय पटना, द्वारा CWJC No-6145/96 एवं सं0–3377/02 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या–2080–83/02 दिनांक–18.02.02 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा के0 बी0 एस0 कॉलेज उच्चैठ मधुबनी के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मीयों का विश्वविद्यालय के सिनेट एवं सिडिकेट द्वारा पारित कर राज्य सरकार को प्रेषित 2014–15 के बजट के अनुसार के0 बी0 एस0 कॉलेज उच्चैठ, बेनीपट्टी को मासिक वेतन अनुदान राशि भेजने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन करते हुए उपर्यक्त विषयक संदर्भ में हमलोगों का कहना है कि :--

1. माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा C.W.J.C.No-6145/96 एवं सं0–3377/02 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं0–2080–83/02 दिनांक–18.02.02 के आधार पर हमलोगों की विधिवत नियुक्ति की गयी।
2. माननीय न्यायालय के आदेश पर एवं विज्ञापन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पद स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–298 दिनांक–09.03.1990 के अनुसार तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग के कोटी में कुल 41 कर्मीयों की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा चयन समिति की गठन की गई।
3. चयन समिति ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए हमलोगों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति हेतू मेघा सूची बनाते हुए नियुक्ति हेतु अनुसंशा की।
4. चयन समिति के अनुसंसा पर मेघा सूची के आधार कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 (6) के प्रावधान का प्रयोग करते हुए हमलोगों की नियुक्ति विश्वविद्यालय ज्ञापांक–10863–936/12 दिनांक–11.08.2012 के अनुसार के0 सी0 एस0 कॉलेज बेनीपट्टी में की।
5. विश्वविद्यालय के नियुक्ति पत्र के अनुसार हमलोगोंने महाविद्यालय में 16.08.2012 को योगदान दिया।

6. इस नियुक्ति प्रक्रिया के पूर्व अधिनियम के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय ने अपने पत्रांक–9341 / 12 दिनांक–26. 02.12 को राज्य सरकार सूचना भेजी चुकी थी कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार के0 भी0 एस0 कॉलेज उच्चैठ में शिक्षाकेत्तर कर्मीयों की नियुक्ति करना आवश्यक है जिससे विश्वविद्यालय माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से बच सकें।

7. निर्धारित वेतन के अनुसार विश्वविद्यालय ने वर्ष–2013–14 एवं वर्ष 2014–15 के बजट को सिनेट एवं सिडिकेट से पारित होने के पश्चात राज्य सरकार को हमलोगों के मासिक अनुदान देने हेतू समर्पित कर चुकी है।

8. हमलोगों का वेतन भुगतान योगदान के तिथि 16.08.2012 से जून 2013 तक की जा चुकी है। तत्पश्चात अदयतन अर्थात कुल 14 महिने का वेतन अभी तक नहीं मिल सका है जिसके कारण हमलोगों के सामने भूखमरी एवं घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

अतः श्रीमान् से प्रर्थाना पूर्वक निवेदन है कि के0 सी0 एस0 कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी (ल0 ना0 मि0 वि0 दरभंगा का अंगीभूत इकाई) में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित 2014–15 के बजट के अनुसार शिक्षकेत्तर कर्मीयों के पदो के अनुसार कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मीयों के मासिक अनुदान विश्वविद्यालय को भेजने की कृपा की जायं जिससे हमलोगों का बकाया वेतन भुगतान के साथ अदयतन वेतन मिल सके। इस कृपा हेतु हम सदा आभारी रहेगें।

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार एवं निदेशक उच्च शिक्षा विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

विश्वासभाजन

शिक्षकेत्तर कर्मी

के0 भी0 एस0 कॉलेज,

उच्चैठ बेनीपट्टी, मधुबनी।